



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 562] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 1978/पौष 1, 1900
No. 562] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 22, 1978/PAUSA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

बाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(बाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 724(अ) सं० ई(सी)ओ, 1977/ए एस(82):—आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम,
1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश
की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) भंडारालीसवां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी
जाए

963 GI/78

(1585)

2. निर्यात (नियंत्रण), 1977 आदेश में छूने सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 69 के बार निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
•	जैगरी (गुड़)	बी-34	भारत के साथ सामान्य स्थल सीमा रखने वाले देशों को छोड़कर निर्यात की अनुमति सभी अनुमत्य गन्तव्य स्थानों को है।"

[मिसिल सं० 28/1/78/ई० 1]

का०वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 724 (E) No. E(C) O, 1977/AM(82) :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-eighth Amendment Order, 1978.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in O. G. L. 3, the following shall be added after S. N. 69 :—

1	2	3	4
79.	Jaggery (Gur)	B. 34	Export allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India".

[File No. 28/1/78-EE]

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports